



सत्यमेव जयते

बिहार राज्य

आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु आबेदन-पत्र

200 -0 वर्ष के लिए

बिहार सरकार

विभाग

राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिये आवेदन-पत्र

1. अतिरिक्त व्यय का संक्षिप्त विवरण
2. परिस्थितियां जिनके कारण आय-व्ययक में उपबंध न हो सका
3. इसका स्थापित किया जाना क्यों संभव नहीं है ?

4. आकस्मिकता निधि से आवश्यक अग्रिम की राशि तथा संपूर्ण वर्ष अथवा अंशवर्ष के लिए इस काम पर लगने वाला संपूर्ण व्यय।

अग्रिम राशि ()	रुपये ()
संपूर्ण व्यय	रु०

5. मांग या विनियोग तथा बजट शीर्ष जिसके अन्तर्गत पुरक उपबंध की आवश्यकता पड़ेगी।

मांग संख्या

बजट शीर्ष खण्ड 13—8000-आकस्मिकता निधि--

6. क्या अग्रिम खर्चे के लिए वर्तमान उपबन्ध से तुल्य राशि प्रत्यर्पित की गई है ?

7. क्या वित्त विभाग ने प्रस्ताव में सहमति दे दी है ?

8. क्या इस योजना की आकस्मिकता कोष से इसके व्यय के बहन के लिये मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ?

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम एवं स्थान का नाम।

सरकार केसचिव।

पटना, दिनांक 200

पांच प्रतियों के साथ वित्त विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अप्रसारित।

सरकार केसचिव

बिहार सरकार

वित्त विभाग

भाष सं०

/वि०

पटना, दिनांक 200

..... (

) रुपये का अग्रिम

बिहार-राज्य आनसक्तिता निधि से स्वीकृत किया जाता है।

क्रमांक

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अवर-सचिव-सह-अपर आय-व्ययक पदाधिकारी,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

भाष सं०

/वि०

पटना, दिनांक 200

प्रतिनिधि—महाकेश्वर, बिहार, पो० हिनू, रांची

सरकार के सचिव, विभाग, पटना

वित्त विभाग (बजट शाखा 7)
को सूचनार्थ अग्रसारित।सरकार के अवर-सचिव-सह-अपर आय-व्ययक पदाधिकारी,
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

अग्रिम की प्रतिपूर्ति अनुपूरक व्यय-विवरण 200-0 में अनुसूची द्वारा की जायगी।

सरकार के अवर-सचिव-सह-अपर आय-व्ययक पदाधिकारी